

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फलक

1228
13-14

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक नं. 1228

तारीख 19.9.13 से 3.10.13 तक

जिला पटना अनुमण्डल- बाढ़, अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार दाखल कारीग
दारीय खाती एवं वर्ष 2013-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
13-03-13	<p>श्री/श्रीमति श्रीमती <u>कनक देवी</u> पिता/पति <u>सुरेश चंद्र ठाकुर</u> ग्राम <u>भावनपुर</u> थाना <u>4716</u> जिला पटना अंचल बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/वख्शीशनामा बँटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक 23-03-13 को उपस्थापित करे।</p> <p><u>दीलपु पोदी</u> जमीन का विवरण ग्राम/थाना नं. <u>58</u> खाता नं. <u>43</u> खेसरा <u>127</u> रकबा <u>511211</u></p> <p>अंचल अधिकारी बाढ़ <u>2/19/113</u></p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

23-03-13

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र/दानपत्र/वख्शीसनामा
बँटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता,विकेता एवं आम
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 1-10-13
को उपस्थापित करे।

2/23/4/13
अंचल अधिकारी
बाढ़

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

1-10-13

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा

काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 3-10-13
को उपस्थापित करे।

2/11/13
अंचल अधिकारी
बाढ़

3-10-13

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की
स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करे।

अंचल अधिकारी
बाढ़

2/3/10/13
अंचल अधिकारी
बाढ़